भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मुख्य शब्द (Key words)

भारत के संविधान की प्रस्तावना में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो संविधान के आदर्शों को इंगित करते हैं। यहाँ इन मुख्य शब्दों की चर्चा की जा रही है:

— संप्रभुता (Sovereign)

भारत एक संप्रभु देश है। देश के अंदर का मामला हो चाहे बाहरी, दोनों ही मामलों में यह स्वयं कार्यवाई करने को स्वतंत्र है।

— समाजवादी (Socialist)

भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक के साथ-साथ निजी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व एक साथ रहता है।

— धर्मनिरपेक्ष (Secular)

भारत सरकार सभी धर्मों को एकसमान दृष्टि से देखेगी व किसी धर्म को मानने वालों के साथ भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

— लोकतांत्रिक (Democratic)

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है जहाँ जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन पर नियंत्रण रखती है।

राजनीतिक लोकतंत्र के साथ-साथ

Scanned with CamScanner

सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का भी उल्लेख रखा गया है।

— गणतंत्र (Republic)

राज्य का प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से सत्ता में आता है। इसप्रकार राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में रहती है।

— न्याय (Justice)

जनता को तीन प्रकार के न्याय दिलाने की बात की गई है — सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। सामाजिक न्याय के तात्पर्य है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग इत्यादि किसी भी आधार पर भेद भाव नहीं किया जाएगा। लेकिन समाज के वंचित वर्गों के उद्धार के लिए उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे।

आर्थिक न्याय के तात्पर्य है आर्थिक आधार पर भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

राजनीतिक न्याय सभी को राजनीतिक अधिकार दिलाने की बात करता है।

— स्वतंत्रता (Liberty)

कुछ शर्तों के साथ भारतीय संविधान

Scanned with CamScanner

ने नागरिकों को मौलिक अधिकारों के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की है।

— समता (Equality)

नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता प्रदान करने की बात की गई है। मौलिक अधिकार के प्रावधानों में इसकी विस्तृत व्याख्या की गई है।

— बंधुत्व (Fraternity)

संविधान निर्माताओं ने यह अपेक्षा रखी थी कि देश के नागरिकों में भाईचारे की भावना बढ़े इसलिए संविधान के कुछ अनुच्छेदों में इसे बढ़ाने की बात की गई है।

राष्ट्रीय अखंडता में बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाने की बात की गई है।

Political Science
B.A. (Hons.) Part (II)
Paper (3) भारतीय राजनीति व्यवस्था
Unit (3) (3) प्रस्तावना

Sheo Vivek
Assistant Professor
(Political science)
Sher Shah College, Sasaram (Bihar)

Scanned with CamScanner